फर्द अहकाम 2018/00555
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

राजे खॉ बनाम बरकत अली

किस्म मुकदमा 23 उप. नम्बर 385 /2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.12.18	अभिभाषक अपीलांट श्री रामचन्द्र सिंह भाटी उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबे मियांद पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को पत्रावली पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट्स की पुश्तैनी भूमि ग्राम भूरासर में स्थित है। जो पूर्व में जैसलमेर स्टेट में होने के कारण अपीलांट के पूर्वजों के नाम रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सकी। परन्तु वादगत् भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। वादगत् भूमि चकबन्दी में आने पर चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 128/3 व मुरब्बा नम्बर 128/11 के रूप में पैमूद हुई। अपीलांट का उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादगत् भूमि के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष दावा जैरकार चल रहा था तथा जवाब की स्टेज पर था। दिनांक 06–03–2018 को अपीलांट अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आया तो उसे कहा बया कि बयान करवाने है इसलिए अपने हस्ताक्षर करों। अपीलांट ने विश्वास करते हुए खली कागजात पर अपने हस्ताक्षर कर दिये गये। जबकि अपीलांट को इस बात की कतई जानकारी नहीं थी कि वाद को विड्रा किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद को अपीलांट की मर्जी के बिना व अपीलांट को अंधेरे में रखते हुए अपीलांट का वाद विड्रा करवाया गया है। मौके पर अपीलांट की फसल खड़ी है। दौराने अपील यदि अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि से अपीलांट को बेदखल किया गया तो अपीलांट का अपूरणीय क्षति कारित होगी।	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत् भूमि चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 128/3 व मुरब्बा नम्बर 128/11 की 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का वाद जरिये विड्रावल खारिज किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट्स के धारण व कब्जे काश्त की भूमि है। जिस पर अपीलांट का पुश्तैनी कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादगत् भूमि खातेदारी अधिकारों के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया। उक्त दावें को अपीलांट को अंधेरे में रख कर व अपीलांट की बिना मर्जी के जरिये विड्रा खारिज कर दिया गया।

प्रस्तुत मामलें में अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया साबित है कि वादगत् भूमि अपीलांट् के पिता को आवंटित भूमि रही है। जिसके खातेदारी अधिकारों के बाबत् अदालत मातहत के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का वाद जरिये विड्रा खारिज किया गया है, जबकि अपीलांट का यह कथन है कि उक्त वाद को अपीलांट को अंधेरें में रखते हुए बिना अपीलांट की सहमति के जरिये विड्रावल खारिज किया गया है।

चूंकि प्रकरण में मूल रूप से अपीलांट के अधिकारों की धोषणा दस्तावेजी साक्ष्यों/ब्यानों व तनकीयात् के आधार पर की जानी है। ऐसी स्थिति में यदि प्रकरण का निस्तारण अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए किया न्यायोचित प्रतीत होता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया साबित होता है कि वादगत् भूमि अपीलांट के पूर्वजों को आवंटित भूमि रही है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित होता है। यदि अपीलाधीन आदेश की आड़ में वादगत् भूमि कि किस्म में परिवर्तन किया गया अथवा वादगत् भूमि केराजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किया गया तो प्रकरण में अनावयश्क पेचिदगियॉ व मुकदमें की आवृति बढ़ेंगी। अतः वादगत् भूमि चक 6 बीएमआर के मुरब्बा नम्बर 128/3 व मुरब्बा नम्बर 128/11 की 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

चूंकि प्रकरण में अपीलांट के अधिकारों की धोषणा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद में तय होनी है। अतः अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण को पुनः सुनवाई पर लेते हुए विधि सम्मत तरीके से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर दो माह में करें। अपीलाट को जरिये अधिवक्ता हिदायत दी जाती है वे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 26–12–2018 को उपस्थित होवें।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

Scanned by CamScanner